बिहार विधान परिषद

(199वां शीतकालीन सत्र)

2 दिसम्बर, 2021

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

कुल प्रश्न 16

नदी की उड़ाही

*39 **श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बरसाती नदी, थुम्हानी, बुढ़नद, जीवछ नदी की उड़ाही नहीं होने के कारण बाढ़ की विभिषिका से धन,जन की भारी क्षति वर्षों से होती आ रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त थुम्हानी नदी जो हरलाखी प्रखण्ड के हुराही से बेनीपट्टी प्रखण्ड सोइली पाली धौंस नदी तक तथा बेनीपट्टी प्रखण्ड के विशनपुर चौर से बसैठ रानीपुर धौंस नदी तक तथा खजौली एवं कलुआही प्रखण्ड सीमा चौर से विभिन्न प्रखण्डों से होते हुए दरभंगा जिला जाने वाली जीवछ नदी की उड़ाही कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जातियों में जोड़ने पर विचार

*40 **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण की व्यवस्था सन् 1978 ई. में की गयी, उस समय 79 जातियां थीं;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर पिछड़ी जातियों से अति पिछड़ी में जोड़ी जाती रही जो बढ़कर 113 अति पिछड़ी जाति हो गई है;

(ग) क्या यह सही है कि वैज्ञानिक या इथनोग्राफी रिपोर्ट के बिना जातियों की संख्या बढ़ाई गई जिससे आरक्षण प्रभावित होता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इथनोग्राफी रिपोर्ट या वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर ही अति पिछड़ी जातियों में जोड़ने या घटाने का काम करेगी, यदि हां तो कबतक ?

वाहन की हेडलाइट

***41 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **परिवहन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान के तहत रात्रि-काल में वाहनों की हेडलाइट हाई बीम (High Beam) की जगह लो बीम (Low Beam) रखे जाने की अनिवार्यता है;

(ख) क्या यह सही है कि कम बिजली की खपत में बहुत ज्यादा तीव्र रोशनी देने वाली एल.ई.डी. हेडलाइट के कारण सामने के वाहन चालकों की आंखे चुंधियाने से उनकी दृश्यता (Visibility) काफी कम हो जाती है जिसके कारण सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लोकहित में सरकार नियमत: वाहनों की हेडलाइट के एक-चौथाई ऊपरी हिस्से को ढकवाना/काला कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

पौधारोपण का लक्ष्य

***42 श्री ललन कुमार सर्राफ (मनोनीत):**

क्या **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2021 को पौधारोपण की शुरुआत की है;

(ख) क्या यह सही है कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) यदि उपर्यक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताना चाहती है कि खंड 'ख' पर अंकित लक्ष्य को जिलावार पौधारोपण कर पूरा किया गया है या अबतक कितना पौधारोपण हो चुका है और लक्ष्य कबतक पूरा किया जा सकेगा ?

राशि का भुगतान

*43 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या **अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग 01 से प्रवेशिकोत्तर तक की छात्र-छात्राओं के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 665.3 करोड़ की राशि का प्रावधान छात्रवृत्ति मद में किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इस मद से विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में किन-किन छात्रवृत्तियों के मद में कितनी राशि का भुगतान किया है ?

बहाली कबतक

*44 **श्री अर्जुन सहनी (विधान सभा):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार सैन्य पुलिस-13 के विज्ञापन सं.-02/2010 के तहत ट्रेड रैंक सिपाही तथा बिगुलर सिपाही, मोची सिपाही आदि की नियुक्ति के लिए रिक्तियां अधिसूचित की गई थी, जिसकी चयन प्रक्रिया 20 दिसम्बर 2019 को पूरी की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि बिगुलरों की नियुक्ति प्रक्रिया के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों

के आलोक में पुलिस महानिदेशक, बिहार के 30 दिसम्बर 2010 को आदेश के अनुपालन में पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस ने अपने पत्रांक 07 (गो.) दिनांक 12 जनवरी 2011 द्वारा नियुक्त बिगुलर सिपाही को असफल और परिवादी अभ्यर्थियों को नियुक्ति योग्य माना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुलिस महानिरीक्षक (वि.सै.पु.) के जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी अभ्यर्थियों को बिगुलर सिपाही के पद पर बहाल करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई कबतक

*45 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **वाणिज्य कर** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीमा पर चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं होने से पड़ोसी राज्य से कपड़े एवं लाल ईंटें धड़ल्ले से राज्य के सीमावर्ती जिले सहरसा, पूर्णिया एवं कटिहार में भेजे जा रहे हैं जिससे राज्य को करोड़ों रुपये की हानि हो रही है, यदि हां तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है ?

प्रोत्साहन योजना का लाभ

*46 **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्नातक के छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है;

(ख) क्या यह सही है कि गंगा देवी महिला कॉलेज, पटना के सत्र 2016 से 2019 तक (स्नातक) को प्रोत्साहन योजना का लाभ अबतक नहीं मिला है;

(ग) क्या यह सही है कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मगध विश्वविद्यालय, गया द्वारा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं होने का कारण बताया जा रहा है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मगध विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर गंगा देवी महिला कॉलेज, पटना के सत्र 2016 से 2019 तक स्नातक पास को प्रोत्साहन योजना का लाभ देना चाहती है, यदि हां

तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

राशि का भुगतान

***47 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

क्या **वित्त विभाग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के नागरिकों द्वारा अपने परिवार के भविष्य के लिए सहारा इण्डिया की विभिन्न योजनाओं में जमा की गई राशि की परिपक्वता तिथि पूर्ण हो जाने के बावजूद भी इन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि अरवल केंद्र (2652) के सहारा-ई-लाइन योजनान्तर्गत श्रीमती फमिदा खातून (मे. सं.- 26521201416) द्वारा किए गए चार निवेशों की परिपक्वता तिथि पूर्ण होने एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा एफ.सी.- 1126 (6829) केंद्र में मो. साजिद खान (में. सं.- 668296001940) द्वारा हमारा इण्डिया क्रेडिट कॉ.सो.लि. की योजना गोल्डन-ए-डबल में निवेश की गई राशि की परिपक्वता तिथि पूर्ण हो जाने के बावजूद इन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त जमाकत्ताओं को परिपक्वता राशि का भुगतान कराना चाहती है ?

वनों का आच्छादन

***48 श्री खालिद अनवर (विधान सभा):**

क्या **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहर का बंटवारा होने के बाद बिहार में वनों का आच्छादन कम हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वनों के आच्छादन की गति और तीव्र होनी चाहिए;

(ग) क्या यह सही है कि दिन ब दिन तालाबों की संख्या घटती जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बताएगी कि विगत 10 वर्षों में कितने पौधे लगाए गये एवं कितने तालाब खुदवाए गए तथा इन दोनों कार्य हेतु सरकार की आगे की क्या प्लानिंग है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*49 **प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत धनरूआ प्रंखड की पंचायत सांडा, ग्राम सांडा में स्थित एक कब्रिस्तान (3 एकड़ 9 डिसमिल) है, जिसका खाता नं. 295, प्लॉट नं. 1563 है;

(ख) क्या यह सही है कि इस कब्रिस्तान की घेराबंदी न होने के कारण कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आए दिन इस स्थल पर विवाद पैदा किया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु पटना के डी.एम. को भी सूचना दी गई है, परन्तु अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो विभाग कबतक इस कब्रिस्तान की घेराबंदी करायेगी?

जमीन मुक्त कबतक

*50 **श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड अंतर्गत सरदार बिगहा गांव में खाता नं.- 56, खेसरा नं.- 115, रकबा 63 डी. एवं खाता नं.- 23, खेसरा नं.- 351, रकबा 24 डी. जमीन आम गैरमजरूआ है;

(ख) क्या यह सही है कि गांव के ही कुछ लोग सरकारी भूमि का अतिक्रमण किए हुए हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमीन मुक्त कर वन लगाने का विचार रखती है ताकि पर्यावरण शुद्ध व स्वच्छ हो, यदि हां तो कबतक ?

पईन का जीर्णोद्धार कबतक

*51 **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या **लघु जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पट्टी, प्रखंड- डोभी, जिला गया में धरधरी नदी (छोटकी नदी) से ग्राम भेलवा चंदा होते हुए ग्राम रटनी तक लगभग 2.9 किलोमीटर लम्बाई की सरकारी पईन है;

(ख) क्या यह सही है कि हजारों किसान परिवारों एवं लगभग 600 एकड़ भूमि को लाभान्वित करने वाली पईन का जीर्णोद्धार वर्षों से लंबित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में पईन का जीर्णोद्धार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

भुगतान कबतक

*52 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य के लगभग सभी जिलों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण एवं पौधशालाओं के तहत 'कैम्पा' योजना कार्यरत है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना को सफल बनाने हेतु बड़े पैमाने पर मजदूरों की सेवा ली जा रही है लेकिन अप्रैल, 2021 से वर्तमान समय तक किसी को तय मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने के कारण मजदूर भुखमरी के कगार पर आ गये हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अप्रैल, 2021 से वर्तमान समय तक बकाये मजदूरी का भुगतान कबतक करना चाहती है ?

पटवन का लाभ

*53 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **लघु जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा प्रखंड अंतर्गत राजवारा एवं मढिया पंचायत के गांवों को सुलभ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2005 में तीन करोड़ की लागत से गोगा नदी पर राजवारा वीयर योजना की शुरुआत की गयी थी;

(ख) क्या यह सही है कि इस नदी की गहराई एवं उससे पटवन होने वाले खेतों की स्थिति का सही अध्ययन किए बिना वीयर की संरचना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया जो बाढ़ में त्रुटिपूर्ण साबित हुआ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या वर्ष 2018 में विशेषज्ञों के द्वारा वीयर की त्रुटि का परिमार्जन करने के बाद भी अभी तक किसानों को पटवन का लाभ नहीं मिल सका है, यदि हां तो इसका क्या कारण है और सरकार कबतक उक्त वीयर योजना से किसानों को सिंचाई का लाभ दिलाना चाहती है ?

सेवा में बहाल

***54 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर आरक्षी बल में कार्यरत सिपाही स्व. मो. आजम (आ.सं. 624) की मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक:- 02.09.2005 में हो गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि स्व. मो. आजम की पत्नी श्रीमती शबाना खातून द्वारा निर्धारित कालावधि में दिनांक:- 03.01.2006 को अनुकंपा के आधार पर स्वयं की नौकरी के लिए आवेदन दिया गया था जिसके उपरांत उनसे वांछित कागजात की मांग की गई थी जिन्हें उनके द्वारा जमा भी किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि एक वर्ष के अंतराल के बाद श्रीमती शबाना द्वारा अपनी अस्वस्थता के कारण अपने बड़े पुत्र मो. मशरूर आलम (तत्कालीन उम्र 12 वर्ष) को अपने स्थान पर बाल आरक्षी बल बहाल किए जाने के संबंध में आवेदन दिया गया जिसे कालबाधित मानते हुए दावा को निरस्त कर दिया गया, जबकि पुत्र को बाल आरक्षी बहाल किए जाने संबंधी आवेदन देना केवल आश्रित का नाम बदलना था;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मानवता के आधार पर स्व. आरक्षी मो. आजम (629) के आश्रित के रूप में उनके पुत्र श्री मशरूर आजम को सेवा में बहाल करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?